न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ
श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य

रेफरेंस संख्या – 259/2005/टीए/अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ....प्रार्थी

बनाम

1. मु. फूला बैवा कालू जाति अहीर सा. कृष्णापुरी रेल्वे फाटक के पास ऊंटड़ा रोड़, मदनगंज
2. श्री नरसिंह पुत्र कालू जाति अहीर अल्पायू जर्ये कुदरती संरक्षक माता मु. फूला बेवा कालू अहीर
3. श्रीमती भंवरी पुत्री कालू अहीर जर्ये मु. फूला
4. श्रीमती सोहनी देवी पुत्री कालू अहीर जर्ये मु. फूला
5. श्रीमती सन्जू देवी पुत्री कालू अहीर जर्ये मु. फूला
6. श्रीमती अन्जू देवी पुत्री कालू अहीर जर्ये मु. फूला
7. श्री गोपाल पुत्र कालू जाति अहीर सा. कृष्णापुरी रेल्वे फाटक के पास ऊंटड़ा रोड़, मदनगंज
8. श्रीमती संतोष देवी पत्नी बोदूराम जाति यादव
9. श्री गोविन्द पुत्र बोदूराम नाबालिग जर्ये गोपाल पुत्र स्व0 कालूराम तेजा चौक मदनगंज–किशनगढ़
10. श्री प्रदीप कुमार पुत्र मूलचंद जाति महाजन चौधरी अहीर कॉलोनी, मदनगंज
11. श्री कुसुमलता धर्मपत्नी प्रदीप कुमार चौधरी, हमीर कॉलोनी, मदनगंज
12. श्री सतीश कुमार पुत्र मनोहर लाल अग्रवाल, जीवन ज्योति कॉलोनी, मदनगंज ....अप्रार्थीगण

उपस्थित :

श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री भगवती सिंह बारहठ, अधिवक्ता अप्रार्थी

दिनांक : 24/04/2026

निर्णय

(i) रेफरेंस का आधार :–

1. प्रार्थी जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा राज्य सरकार की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत यह रेफरेंस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 67/93 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.1994 को निरस्त करते हुए प्रेषित किया गया है।

(ii) प्रकरण के तथ्य :–

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा कस्बा किशनगढ़ के साबिक खसरा नं. 111 एवं 142 (वर्तमान खसना नं0 164 व 205) रकबा क्रमशः 8 बीघा 4 बिस्वा एवं 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 को खातेदारी अधिकार घोषित किया गया तथा उसके आधार पर नामांतरकरण क्रमांक 386, 544 एवं 585 दर्ज कर दिए गए। जिला कलेक्टर द्वारा अभिलेख परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि उक्त भूमि सिवायचक/राजकीय प्रकृति की है तथा खातेदारी अधिकार प्रदान करना विधि के विपरीत है। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय अविधिक ठहराते हुए प्रकरण राजस्व मंडल के समक्ष रेफर किया गया है।

(iii) पक्षकारों के तर्क व बहस :–

1. बहस के दौरान प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से विद्वान उप–अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। खसरा गिरदावरी एवं खसरा परिवर्तनशील अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का निरंतर एवं एकरूप कब्जा सिद्ध नहीं होता, अपितु विभिन्न वर्षों में भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना संभव नहीं है तथा धारा 88 के अंतर्गत भी खातेदारी घोषणा हेतु आवश्यक शर्तें पूर्ण नहीं की गईं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.12.1977 का भी विधिसम्मत अनुपालन नहीं हुआ। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.1994 पूर्णतः अवैध है तथा इसके आधार पर हुए नामांतरण भी निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण माननीय मण्डल के समक्ष रेफर किया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

2. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपखण्ड अधिकारी के प्रश्नगत निर्णय व डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि वे एवं उनके पूर्वज लंबे समय से विवादित भूमि पर काबिज एवं काश्तकार रहे हैं तथा इसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। उक्त निर्णय दिनांक 07.01.1994 के विरुद्ध किसी सक्षम

न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई, अतः वह अंतिम एवं बाध्यकारी है। नामांतरकरण क्रमांक 386, 544 एवं 585 के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में उनका नाम विधिवत् दर्ज हो चुका है तथा वे निरन्तर काबिज हैं। अतः इस प्रकार के विलंबित रेफरेन्स के माध्यम से उनके स्थापित अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्य द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

(IV) न्यायालय का विश्लेषण एवं निष्कर्ष :–

1. रेफरेंस प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में न्यायालय को सर्वप्रथम धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विवेचन आवश्यक है। सुविधा के लिये धारा 232 निम्नानुसार है –

> **232. रेकार्ड मंगवाने तथा बोर्ड को निर्देश करने की शक्ति –** कलक्टर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के रेकार्ड को दी गई आज्ञा अथवा डिक्री की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में, स्वयं को संतुष्ट करने के अभिप्राय से मंगवा सकेगा और या डिक्री या की गई कार्यवाही परिवर्तित, खण्डित या पलट दी जाने योग्य है तो वह उस मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड को निर्देशित कर देगा और तदुपरान्त बोर्ड उस पर ऐसी आज्ञा दे देगा जो वह उचित समझे :
>
> **परन्तु** इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, धारा 239 के अन्तर्गत आने वाले वादों अथवा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के साथ यदि तृतीय अनुसूची को देखा जाये तो रेफरेंस के लिये कोई भी मियाद निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन रेफरेंस के सफल होने के लिये निम्न परिस्थितियां आवश्यक प्रतीत होती हैं – **पहला,** अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही या निनर्णय या डिक्री की वैधानिकता या औचित्य प्रश्नगत को और, **दूसरा,** ऐसी डिक्री, निर्णय या कार्यवाही के अन्दर काश्तकारी भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न न उठाया गया हो, न निर्धारित किया गया हो। उक्त परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण को देखा जाये तो रेफरेंस का आदेश दिनांक 11.01.2005 वास्तव में विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा धारा 88 रा.का.अ. के तहत काश्तकारी अधिकारों के

सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकारों की घोषणा का वाद था, जिसका आधार सक्षम अधिकारी तहसीलदार, किशनगढ़ का पूर्व न्यायनिर्णय दिनांक 19.12.1977 था। काश्तकारी अधिकारों के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकारों से है जो खातेदारी मिलने के पश्चात् तत्सम्बन्धी खातेदारी अधिकारों के परिणामस्वरूप प्राप्त होते हैं। अर्थात् सीधे शब्दों में कहा जाये तो तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.12.1977 के आधार पर खातेदारी प्राप्त होने के परिणामस्वरूप तत्सम्बन्धी 'खातेदारी बाबत् Proprietary rights' अर्थात् स्वामित्व के अधिकार की घोषणा उक्त वाद संख्या 67/93 के द्वारा चाही गई थी। और इसी आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.1994 से उक्त अधिकारों की घोषणा की गई थी। उक्त न्यायनिर्णय में सरकार प्रतिपक्षी थी। उनके द्वारा प्रकरण में समुचित पैरवी भी की गई थी। समग्र तथ्यों और उनके आनुषांगिक विवेचन के आधार पर दावा डिक्री किया गया है। यदि स्पष्ट रूप से देखा जाये तो इस आधार पर जिला कलेक्टर का रेफरेंस बनाने का आदेश दिनांक 11.01.2005 धारा 232 के परन्तुक से सीधे प्रभावित होता है।

2. उपरोक्त विवेचन के अतिरिक्त यदि सामान्य दृष्टिकोण एवं प्रक्रियात्मक विधि को देखा जाये तो जिस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा समुचित पैरवी की गई हो और न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर हो तो ऐसे निर्णय के खिलाफ यदि कोई पक्षकार जाना चाहता है तो उसे अधिनियम में वर्णित अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये, जिसके लिये विहित समयावधि वर्णित है। ऐसी समयावधि निकलने के पश्चात् पुनः उस निर्णय और डिक्री के मार्फत स्थिर हुए काश्तकारी अधिकारों को रेफरेंस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से उद्वेलित करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। रेफरेंस का प्रार्थना–पत्र वास्तव में अपील का विकल्प नहीं हो सकता, वह भी तब जब अपील पेश करने की अवधि या मियाद समाप्त हुए लगभग 6–7 वर्ष व्यतीत हो चुके हों। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय भगवान सहाय बनाम गोपाल (supra) यह पर्यवेक्षण उद्धरित करता है –

> "There has to be some stability and finality to proceedings. The law of the land is to be understood for the purpose of bringing peaceful environment amongst its citizens and not to create chaos in lives of the individuals. …."

3. इसी परिप्रेक्ष्य में यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि वस्तुतः अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.1994 से प्राप्त नहीं हुए थे, बल्कि तहसीलदार, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 19.12.1977 से प्राप्त हुए थे। तब से लेकर अब तक निरन्तर कब्जे के खण्डन में जो तर्क रेफरेंस प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत करके यह बताने का प्रयास किया गया है कि खसरा परिवर्तनशील के संवत् 2045 व 2046 में मदन वल्द कालू कौम अहीर का कब्जा काश्त आने से अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त निरंतर नहीं माना जा सकता; अपने आपमें भ्रामक है और रिकॉर्ड के तथ्यों के विपरीत है। खसरा परिवर्तनशील की नकल जो पत्रावली पर पेश है, उससे यह स्पष्ट है कि संवत् 2022 से लगातार किसना पुत्र लादू और संवत् 2022 से पहले लादू का कब्जा काश्त रहा है। किसना पुत्र लादू के पश्चात् कालू पुत्र किसना और उसके पश्चात् मदन पुत्र कालू का कब्जा काश्त स्वयं जिला कलेक्टर के रेफरेंस निर्णय दिनांक 11.01.2005 से प्रकट होता है। यह तथ्य उक्त खसरा गिरदावरी से नजीरी तौर पर ही स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में कब्जे को लेकर निरंतर नहीं मानने का जो तार्किक आधार लिया गया है वह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अर्थात् इस आधार पर भी रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4. रेफरेंस प्रार्थना–पत्र में विलम्ब के संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय तारा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान [2015 (4) RLW (Raj.)] निम्न शब्दों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। उक्त न्यायनिर्णय में प्रश्न संख्या–5 के मार्फत से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रेफरेंस प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में मियाद अधिनियम बाबत् न्यायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि निम्न है –

> Question no.(v) Whether any time limit can be fixed for refer-ence u/s 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and u/s.232 of the Rajasthan Tenan-cy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (de-ity). If so, to what extent?
>
> Answer:- No time limit has been fixed for reference under Section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under section 232 of the Ra-jasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity), and thus a reference can be made within a reasonable time, which will depend upon the facts and cir-cumstances of each case. Even if the fraud is alleged, the pow-er must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land."

अर्थात् स्पष्ट रूप से भले ही रेफरेंस के लिये कोई मियाद वर्णित नहीं है, लेकिन खातेदारी अधिकारों के प्रदान किये जाने के लगभग 3 दशक से भी अधिक समय के बाद प्रस्तुत रेफरेंस के मार्फत से स्थिर हुए काश्तकारी अधिकारों को पुनः अस्थिर करना, जिससे न केवल पक्षकारों के काश्तकारी अधिकार प्रभावित हुए, बल्कि उनके सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार भी प्रभावित हुए, जो किसी भी तार्किक दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहे जा सकते। इसी संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एक अन्य न्यायनिर्णय भगवान सहायक बनाम गोपाल [2019 Supreme (Raj.) 1871] निम्न शब्दों में रेफरेंस प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में मियाद के संदर्भ को स्पष्ट करता है, और पूर्व के न्यायनिर्णय को वर्णित करते हुए यह निर्धारित करता है कि –

> 10. The law laid down by this Court in Babu Singh Vs. The Board of Revenue & ors. (supra), which relies on the earlier judgment passed in the case of Anandi Lal Vs. State of Rajasthan & ors., (1996) 2 WLC(Raj) 36, would have direct application in the present case. In the aforesaid case of Babu Singh Vs. The Board of Revenue & ors. (supra), this Court held as under:-
>
> > "8. In the present case, the petitioners' father was given khatedari rights as far back as 1958. Obviously, between 1958 to 1993, the family would have spent a sufficient part of their earning for the improvement of the land. The family would have become dependent for their livelihood upon the said land. Therefore, after inordinate delay of thirty-five years, neither the title for the possession of the said land can be disturbed. Therefore, the additional Collector has committed illegality while making the reference to the Board. Similarly the Board has failed to consider the fact that the reference was made after inordinate delay of thirty-five years. Hence, this Court has no hesitation in quashing and setting aside the order dated 06.07.1994 passed by the Additional Collector and the order dated 28.04.1995 passed by the Board of Revenue."
>
> 11. The reference is hopelessly barred by latches and delay. Taking clue from Section 175 of the Act of 1955 which provides 30 years limitation and cannot be extended in view of the judgment in Ram Karan (Dead) through LR's & ors. Vs. State of Raj. & ors (supra), this Court is unable to accept the contentions of learned counsel for the petitioners as there is no limitation provided under Section 82 of the Act of the Act of 1956, a reference made after 41 years, ought to be accepted.

उपरोक्त वर्णित न्यायनिर्णयों के आलोक में यह कहना समुचित होगा कि सन् 1977 में प्रदान किये गये खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में लगभग 23 वर्ष बाद रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5. उपरोक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखों के परीक्षण एवं पक्षकारों की बहस पर विचारोपरांत यह प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.1994 के विरुद्ध यथोचित वैधानिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद राज्य द्वारा समय रहते कोई अपील अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की गई तथा उक्त निर्णय के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरकरण भी विधिवत् दर्ज होकर विगत तीन दशकों से प्रभावी है। अतः जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स विधिसम्मत नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त समस्त तथ्यों, माननीय न्यायालयों के न्यायनिर्णयों, अभिलेखों के अवलोकन एवं पक्षकारों की बहस पर विचार उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 07.01.1994 को यथावत बहाल किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य